

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सकुनत व अन्य बनाम बसकर व अन्य

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 36 वर्ष 2022
18/01/22


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए


आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।


नो रिज जरी
86
25/1/22

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 28.02.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि 318/0.42, 322/0.40 है0 वाके ग्राम अलापुर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्गे अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

22-03-22 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी का वाद नोटिस से 2 बार रिज हो चुका है
अतः यह आदेश पत्र की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।
पत्रावली फौसला शुमार होकर वाद तलबी संलग्न
मूल वाद है। 

Narinder

22-03-22